

अपील संख्या:-861/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00644)

1. सुखदेव पुत्र पॉचूराम,
2. प्रभाती पत्नी सुखदेव,
3. पुरी देवी पत्नी मंगला, समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम बिलोद, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री हनुमान सहाय पुत्र कल्याण सहाय, जाति बलाई, निवासी ग्राम चैनपुरावास, डैडवाडी तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति:-

1. श्री बंशीधर जाट एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री नुतन कुमावत एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक: 28.03.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड जमवारामगढ़ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2014 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत विवादित भूमि खसरा नम्बर 6/56 रकबा 3 बीघा, वाके ग्राम चैनपुरावास डैडवाडी तहसील जमवारामगढ़ बाबत प्रस्तुत कर पत्थरगढ़ी हेतु निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के विपरित अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होंने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ के समक्ष वाद संख्या 160/2014 मोहरी लाल बनाम हनुमान सहाय के नाम से प्रस्तुत कर रखा था जिममें हाल नक्शा दुरुस्त करने बाबत अनुतोष चाहा गया था उक्त वाद पत्र का दिनांक 28.06.2016 को अपीलान्ट के पक्ष में निर्णय किया गया है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार जमवारामगढ़ में हाल नक्शा ट्रेस तैयार नहीं किया गया तथा जब तक नक्शा ट्रेस तैयार नहीं किया जाता तब तक पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। उन्होंने यह भी कथन किया है

P.T.O.

कि अपीलार्थी आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। सर्वप्रथम दिनांक 10.07.2020 को हल्का पटवारी मौके पर पहुँचा तो हल्का पटवारी द्वारा जानकारी दी गई उसके पश्चात् अपीलान्ट्स ने जिलाधीश कार्यालय में आकर अपीलार्थी आदेश की प्रति हेतु आवेदन किया जो दिनांक 02.07.2020 को प्राप्त हुई तथा लॉक डाउन होने के कारण नियत समय में पत्रावली की प्रतिपिपि प्राप्त नहीं हो सकी। उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के पश्चात् अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई तथा उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलार्थी आदेश दिनांक 08.07.2014 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट 1 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ग्राम चैनपुरावास डैडवाड़ी में खसरा नम्बर 7/44 व 5/56 तरमीम शुदा रकबा 3-3 बीघा कुल 6 बीघा भूमि स्थित है तथा अपीलान्ट की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जयपुर में वाद संख्या 160/2014 पेश किया गया था जिसमें दिनांक 20.06.2016 में अपीलान्ट के पक्ष में फैसला सुनाया गया जिसकी पालना दिनांक 10.07.2020 को कर दी गई लेकिन अपीलान्ट बाहुल्य जाति व रसुकदार होने के कारण रेस्पोडेन्ट की भूमि पर जबरन कब्जा करके आये दिन रेस्पोडेन्ट के परिवार के साथ लडाई-झगडा, चौरी मारने की धमकियाँ देते रहते हैं एवं रेस्पोडेन्ट की भूमि की पत्थरगढी प्रकरण संख्या 89/14 को रूकवाना चाहते हैं जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक रूप से परीक्षण करने के उपरान्त ही गुणावगुण पर अपीलार्थी आदेश दिनांक 08.07.2014 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नहीं की गई है तथा अपीलार्थीगण को उक्त अपीलार्थी निर्णय की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है किन्तु रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करके मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई जो खारिज योग्य है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलार्थी आदेश विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें हैं जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रुख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील

(3)

प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलान्ट्स का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित किया गया है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है बल्कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में पत्थरगढी/सीमाज्ञान हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं होना अंकित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2014 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)  
संभागीय आयुक्त,  
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,  
जयपुर।